न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या–09/2019–20

साजमा खातुन वगै0.....प्रथम पक्ष

बनाम्

अफजल हनीफ वो अन्य.....द्वितीय पक्ष

आदेश

अंचल कार्यालय, बगोदर के नामान्तरण वाद संख्या–79/2019–20 में विज्ञ अंचल अधिकारी, बगोदर के द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.08.2019 के विरूद्ध अपीलार्थी साजमा खातुन पति शाहबान अंसारी बेवी खातुन पति गाजी शहनवाज अंसारी वो अजमेरी खातुन पति मोहम्मद खलील अंसारी सभी साकिन–जरमुने चट्टी, पो0–बगोदर, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह द्वारा दायर किए गये इस नामान्तरण अपीलवाद में निहित भूमि की विवरणी निम्न है –

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
जरमुने	108	244	2085	01 डी0

इस अपीलवाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों में उभय पक्ष को उनके विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से सुना गया तथा इसे संचिकाबद्ध किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादगत भूखण्ड सर्वे खतियान खतियान में सोवराती मियाँ के नाम से दर्ज पाया गया। सोवराती मियाँ के मरने के पश्चात् इनके तीन पुत्र हुए (1) करीम मियाँ (2) दिलावर मियाँ (3) मुना मियाँ उर्फ आसीन मियाँ। इन्होंने अपने पिता द्वारा प्राप्त सम्पत्ति आपस में घरैया बंटवारा कर अपने हक हिस्से पर कायम वो काबिज दखलकार चले आये। सोवराती मियाँ के प्रथम पुत्र करीम मियाँ के तीन पुत्री हुए (1) सलीमन खातुन (2) बलियम खातुन (3) सहीदन खातुन, अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् तीनों बहन कायम काबिज दखलकार हुई। बलियम खातुन के मृत्यु के पश्चात् इनके पुत्र लालु मियाँ अपने हिस्से पर कायम काबिज दखलकार चले आते हैं वो हैं। खतियानी रैयत सोबराती मियाँ का दूसरा पुत्र दिलावर मियाँ के मृत्यु के पश्चात् खैरून निशा जिसका पुत्र मो0 तैयब अपने हिस्से पर कायम काबिज वो दखलकार चले आ रहे हैं। उक्त लेख्यकारी नं0–01 मवाजी 00.66 डी0 वो लेख्यकारी नं0–02 मवाजी 00.33 डी0 बिक्री करते हैं, जिसका लगान रसीद नाना लेख्यकारीगण सोवराती मियाँ के नाम से कटता चला आ रहा है, जो हल्का में उपलब्ध पंजी–II ए के पेज नं0–138 में दर्ज हैं।

इनका यह भी तर्क है कि केवाला दस्तावेज संख्या–4543 दिनांक

29.08.2018 मौजा जरमुने अंचल बगोदर के अंतर्गत खाता नं0-244 प्लॉट नं0-2085, रकवा-02 डी0 मध्ये 01 डी0 खरीदगी हासिल कर ऑनलाईन नामांकन दाखिल खारिज-79/2019-20 दिनांक 07.07.2019 को किए थे जिसमें अंचल कार्यालय बगोदर द्वारा दिनांक 17.08.2019 को अवैध ढंग से अस्वीकृत कर दिया गया। चूँकि यह केवाला खतियानी रैयत के वंशज ने अपने हक हकियत के आधार पर किया है तथा विपक्ष का दावा फर्जी है। इसलिए इसकी सुनवाई कर दाखिल-खारिज अपीलवाद को स्वीकृत करते हुए रसीद निर्गत करने की स्वीकृती दी जाय।

विपक्ष की ओर से इनके अधिवक्ता ने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु विज्ञ अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा इसे आपसी विवाद का कारण बतलाते हुए अस्वीकृत कर दिया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का दलील सुनने एवं अभिलेख में सभी संलग्न कागजातों के अवलोकन एवं सम्यक विचारोपरान्त इसमें निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होता है -

1. प्रथम पक्ष केवाला का संपादन खतियानी रैयत के वंशज द्वारा अपने हक एवं हिस्से के भूमि के आधार पर ही किया गया है।
2. विवादित भूमि की जमाबंदी खतियानी रैयत सोवराती मियाँ के नाम से पंजी-II A पेज नं0-134 पर चल रहा है।
3. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन में भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा नहीं है अर्थात् इस भूखण्ड पर विवाद है।
4. भूमि पर विवाद का मुख्य कारण विवादित भूमि के खाता नं0-244 प्लॉट नं0-2085, रकवा-02 डी0 भूमि का खतियानी रैयत सोवराती मियाँ क तीसरा वंशज मुन्ना मियाँ उर्फ आसीन मियाँ द्वारा केवाला संख्या-34 दिनांक 01.04.1980 को (1) मोहम्मद यूनुस वल्द ग्यासुद्धीन अंसारी (2) वीबी मैमून निशा जौजे मोहम्मद आसीन के नाम से कर दिया है तथा आसीन मियाँ के पुत्र मो0 कलीम ने केवाला संख्या-3433 दिनांक-22.09.2017 को (1) अफजल हनीफ वल्द सोहेल कुरैशी (2) असगर अली कुरैशी वल्द सोहेल अहमद कुरैशी के नाम से कर दिया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर खतियानी रैयत के तीसरे वंशज द्वारा कुल भूखण्ड 02 डी0 का किए गये केवाला कहाँ तक सार्थक है इसकी जाँच व्यवहार न्यायालय ही कर सकता है। इस न्यायालय को इस पर कोई प्रभावकारी आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है इसलिए इस वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं सत्यापित।

23/09/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

23/09/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)